



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

1488 / कोस / म.प्र. नि. वि. वि. आयोग / 2022

दिनांक ...30/08/22.....

आदेश

प्रति

कुलसचिव,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय-शैक्षणिक सत्र वर्ष 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अधधीन की गई है। इस हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05.08.2022 में की गयी अनुशंसाएं में लिये गये निर्णय के परिपालन में एवं आयोग की सभा बैठक दिनांक 18.08.2022 में प्राप्त अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

S.No	Faculty	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total
1	Business School	BBA	14600	12410	2190	14600
2		MBA FT (Finance . Marketing. HR . Entrepreneurship)	50000	42500	7500	50000
3		MBA PT (Finance . Marketing. HR . Entrepreneurship)	25000	21250	3750	25000
4	Arts	BA	10000	8500	1500	10000
5		MA	15000	12750	2250	15000
6		MSW	16500	14025	2475	16500
7	Medical	MBBS	1495000	1217880	214920	1432800
8		MD/MS CLINICAL	1990000	1320305	232995	1553300
9		MD/MS NON CLINICAL	1480000	850000	150000	1000000
10		MD PATHOLOGY	1990000	1201985	212115	1414100

निरंतर-02

30/8/22

// 02 //

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

11	Dental	BDS	228800	194480	34320	228800
12		MDS	538700	457895	80805	538700
13	Engineering	DIPL.OMA ENGG.	40000	34000	6000	40000
14		BE	50000	42500	7500	50000
15		M TECH	65000	55250	9750	65000
16	Pharmacy	D PHARMA	125000	86700	15300	102000
17		B PHARMA	60000	51000	9000	60000
18		M PHARMA	66000	56100	9900	66000
19	Nursing	GNM	70000	50320	8880	59200
20		BSC NURSING	77500	65875	11625	77500
21		MSC NURSING	151800	129030	22770	151800
22		POST BASIC NURSING	53800	45730	8070	53800
23	Computer Science	MCA	23000	19550	3450	23000
24		DCA	10000	8500	1500	10000
25		BCA	11000	9350	1650	11000
26		PGDCA	15000	12750	2250	15000
27	Agriculture	DIPL.OMA AGRICULTURE	17000	14450	2550	17000
28		BSC (AGRICULTURE)	73000	62050	10950	73000
29	Science	BSC	15000	12750	2250	15000
30		MSC	20000	17000	3000	20000
31	Paramedical	Bachelor of Physiotherapy	34000	28900	5100	34000
32		Bachelor of Medical Lab Technician	38500	32725	5775	38500
33		Diploma In Medical lab Technician	30000	25500	4500	30000
34		Diploma In X-Ray	28000	23800	4200	28000
35		Diploma in Optometric Refraction	29000	24650	4350	29000
36		Diploma In Human Nutrition	28000	23800	4200	28000
37		PG	73800	62730	11070	73800
38		Diploma in Blood Transfusion	29000	24650	4350	29000
39		Bachelor of Human Nutrition	38500	28220	4980	33200
40		Diploma in Dialysis Technician	28000	20995	3705	24700
41		Diploma in Clinical Biochemistry	28000	20995	3705	24700
42		Diploma Pharmacy (Ayurved)	28000	20995	3705	24700
43		Diploma Pharmacy (Homeopathy)	28000	20995	3705	24700
44		Diploma in Yoga	28000	20995	3705	24700
45		Diploma in Naturopathy	28000	20995	3705	24700

निरंतर-03

[Handwritten Signature]
31/8/2022

// 03 //

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

46	Commerce	B.Com	8000	6800	1200	8000
47		M.Com	15000	12750	2250	15000
48	Library Science	B.LIB	10000	8500	1500	10000
49		M.LIB	12000	10200	1800	12000
50	Law	LLB	34500	29325	5175	34500
51		BALLB	34500	29325	5175	34500
52	Homeopathy	BHMS	129400	109990	19410	129400
53		MD HOMEO	315700	268345	47355	315700
54	Yoga	B.Sc YOGA	25000	21250	3750	25000
55		M.Sc YOGA	19300	16405	2895	19300
56		Diploma YOGA	7700	6545	1155	7700
57	Fashion Designing	BSC FD	24200	20570	3630	24200
58		MSC FD	18100	15385	2715	18100
59		Diploma FD	14500	12325	2175	14500
60		BA Animation & Graphic	18000	12920	2280	15200
61	Ayurvedic	BAMS	300000	238000	42000	280000

नोट— उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, परीक्षा शुल्क एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. सत्र 2022-23 हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जाये।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है।

निरंतर-04

//04//

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। शुल्क नियमन किये गये पाठ्यक्रमों में यदि आयोग की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है तो ऐसे पाठ्यक्रमों की आयोग से अनुज्ञा प्राप्त की जाये।
(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2022
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
5. गार्ड फाईल ।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल